

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (80)लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2024-25/08436/

दिनांक -

छात्रवृत्ति एवं स्कूटी हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित राजकीय/निजी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित योजनाओं में विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> पर ऑनलाईन आवेदन हेतु दिनांक-03.01.2026 से पोर्टल पुनः खोला जाकर अंतिम तिथि 30.01.2026 की जाती है-

क्र. स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2025-26	03.01.2026	30.01.2026
2	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना	2025-26	03.01.2026	30.01.2026
3	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना	2025-26	03.01.2026	30.01.2026
4	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :- 1. सभी वर्ग की छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 12वीं उत्तीर्ण 2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) 3. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 4. अल्प संख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्प संख्यक मामलात विभाग) 5. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 6. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 7. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2025-26	03.01.2026	30.01.2026
5	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता	2025-26	03.01.2026	30.01.2026
6	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	2025-26	03.01.2026	30.01.2026
7	सहरिया जनजाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता	2025-26	03.01.2026	30.01.2026
8	सहरिया छात्र-छात्राओं को बी.एड. प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता	2025-26	03.01.2026	30.01.2026

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, परिपत्र क्रमांक-955 दिनांक-30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन

Signature valid

Digitally signed by Munaree Lal Dayma
Designation : Joint Director
Date: 2026.01.02 14:45:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19707258

करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल-निवास, बैंक डिटेल् आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Munaree Lal Dayma
Designation : Joint Director
Date: 2026.01.02 14:45:53 IST
Reason: Approved